विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड
(संसदीय अनुभाग)

पत्रांकः 858 / वि0स0 / 45 / सं0 / 2015 देहरादून, दिनांक 03 सितम्बर, 2015

अधिसूचना / प्रकीर्ण

वर्ष 2013 की आपदा के समय किये गये राहत कार्यों में हुए व्यय के विषय में कथित आरोपों पर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा इस प्रकरण में विस्तृत तथ्यात्मक जांच के प्रस्ताव पर एतदद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री अध्यक्ष, विधान सभा ने उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली–2005 के नियम–188 के अन्तर्गत विधान सभा की एक सर्वदलीय समिति का गठन किया है।

यह समिति उपरिवर्णित आपदा की अवधि में राहत कार्यों पर हुए व्यय के विषय में कथित आरोपों सम्बन्धी मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन पर बिन्दुवार विचार एवं विस्तृत तथ्यात्मक जांच करेगी। इसके अतिरिक्त भविष्य में आपदा की परिस्थितियां उत्पन्न होने पर आपदा प्रबन्धन के लिए भी यह समिति एक सुस्पष्ट मार्गदर्शिका तैयार करेगी एवं तत्सम्बन्धी अपना प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष को तीन माह के अन्तर्गत प्रस्तुत करेगी।

समिति के निम्न माननीय सदस्य होंगेः–

1– श्री अनुसूया प्रसाद मैखुरी, माननीय उपाध्यक्ष एवं सभापति,
2– श्री मदन कौशिक, सदस्य,
3– श्री विशन सिंह चुफाल, सदस्य,
4– श्री हरिदास, सदस्य,
5– श्रीमती शैलारानी रावत, सदस्य,
6– श्री ललित फर्स्वाण सदस्य,
7– श्री विजय पाल सजवाण, सदस्य,
8– श्री मालचंद, सदस्य।

ह0 / –
(जगदीश चन्द्र)
सचिव।